भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1867

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**लंबित अदालती मामलों की संख्या में कमी हेतु केन्द्र बिंदु**

**1867. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाने के बावजूद यह देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न जिला न्यायालयों में बैकलॉग मामलों को कम करने में असमर्थ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी किसी भी केन्द्र बिंदु(ओं) पर ध्यान दिया है जिस/जिन पर लंबित पड़े मामले को कम करने के लिए ध्यान दिए जाने की अधिक आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** देश के विभिन्न न्‍यायालयों में मामलों का लंबित होना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्‍य बातों के साथ, न्‍यायाधीशों की पर्याप्‍त संख्‍या, सहायक न्‍यायालय कर्मचारिवृन्‍द और भौतिक अवसंरचना की उपलब्‍धता, अंतर्वलित तथ्‍यों की जटिलता, साक्ष्‍य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अनुसंधान अभिकरण, साक्षी मुवक्‍किल का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्‍मिलित है। संबंधित न्‍यायालयों के द्वारा विभिन्‍न मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

 सरकार, तथापि, मामलों के त्‍वरित निपटान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्‍यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक इको-प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं । सरकार द्वारा स्‍थापित, न्‍याय प्रदान करने और विधिक सुधारों के लिए राष्‍ट्रीय मिशन ने न्‍यायिक प्रशासन ने विभिन्‍न सामरिक प्रयासों के माध्‍यम से बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्‍वित पहुंच अंगीकृत की है जिसके अंतर्गत, न्‍यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार करना, बेहत्‍तर न्‍याय प्रदान के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना और उच्‍च न्‍यायालयों और उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायमूर्तियों की रिक्‍त संख्‍या को भरना भी हैं । अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका की कार्यपद्धति को और दक्ष बनाने के लिए उठाए गए कदमों के अधीन पिछले चार वर्षों के दौरान मुख्‍य उपलब्‍धियां निम्‍न प्रकार हैं :-

(i) **जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना:** वर्ष 1993-94 में न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्‍कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आजतक 6,623.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इसमें से, अप्रैल, 2014 से राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को 3,179.57 करोड़ रुपये (जो कि आज तक जारी की गई कुल रकम का 48 प्रतिशत है) जारी किए गए हैं । इस योजना के अधीन, न्‍यायालय हालों की संख्‍या जो तारीख 30.06.2014 को 15,818 थी, से बढ़कर आज तक 18,731 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्‍या जो तारीख 30.06.2014 को 10,211 थी, से बढ़कर आज तक 16,539 हो गई है । इसके अतिरिक्‍त, 2,906 न्‍यायालय हाल और 1,754 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं । केंद्रीय सरकार ने इस स्‍कीम को 3,320 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त प्राक्‍कलित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 से आगे जारी रखना अनुमोदित किया है ।

(ii) **न्‍याय प्रदान में सुधार के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना :**  वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 3,083 की वृद्धि रजिस्‍ट्रीकृत करते हुए कंप्‍यूटरीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों की संख्‍या में 13,672 से 16,755 की वृद्धि हुई है । राष्‍ट्रीय न्‍यायिक आंकड़ा (एनजेडीजी), नागरिकों को जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों से जो कि पहले से ही कंप्‍यूटरीकृत हैं, मामला दाखिल करने, मामला प्रास्‍थिति और आदेशों और निर्णयों की इलैक्‍ट्रानिक प्रतियों के बारे में ऑनलाइन सूचना प्रदान करता है । 10.80 करोड़ मामले जिसके अंतर्गत तीन करोड़ से अधिक लंबित मामले और 7.91 करोड़ से अधिक आदेश/निर्णय सम्‍मिलित हैं, से संबंधित सूचना, इस पोर्टल पर उपलब्‍ध हैं । ई-न्‍यायालय सेवाएं जैसे कि मामला रजिस्‍ट्रीकरण के ब्‍यौरे, वाद सूची, मामला प्रास्‍थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय, ई-न्‍यायालय वैब पोर्टल, सभी कंप्‍यूटरीकृत न्‍यायालयों में न्‍यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्‍यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश और पुल सेवा के माध्‍यम से मुवक्‍किलों और अधिवक्‍ताओं को उपलब्‍ध हैं । ई-न्‍यायालय परियोजना देश की शीर्ष पांच मिशन मोड परियोजनाओं में से एक बनी हुई है ।

(iii) **उच्‍चतम न्‍यायालय, उच्‍च न्‍यायालय तथा जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों की रिक्‍तियों को भरा जाना :** संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों का चयन और नियुक्‍ति संबंधित राज्‍य सरकारों और उच्‍च न्‍यायालय का दायित्‍व है । जहां तक कि राज्‍यों में न्‍यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्‍यों में संबंधित उच्‍च न्‍यायालयों द्वारा किया जाता है, जबकि अन्‍य राज्‍यों में उच्‍च न्‍यायालय इसे राज्‍य लोक सेवा आयोगों से परामर्श करते है ।

उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में रिक्‍तियों का भरा जाना, कार्यपालिका और न्‍यायापालिका के मध्‍य सतत् और सहयोगकारी प्रक्रिया है । यह विभिन्‍न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित करती है । उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायामूर्तियों की नियुक्‍ति के लिए प्रस्‍ताव का प्रारंभ, भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायमूर्ति की नियुक्‍ति के लिए प्रस्‍ताव का प्रारंभ संबंधित उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति में निहित है । जबकि विद्यमान रिक्‍तियों को त्‍वरित रूप से भरने के लिए प्रत्‍येक प्रयास किया जा रहा है, उच्‍च न्‍यायालयों में रिक्‍तियां, सेवानिवृत, पदत्‍याग या न्‍यायमूर्तियों के उन्‍नयन (उच्‍चतम न्‍यायालयों) में और न्‍यायाधीशों की संख्‍या में वृद्धि के कारण भी उत्‍पन्‍न होती रहती है ।

01.01.2014 से 26.12.2018 तक, उच्‍चतम न्‍यायालय में 27 न्‍यायमूर्ति नियुक्‍त किए गए थे; उच्‍च न्‍यायालयों में 446 नए न्‍यायमूर्ति नियुक्‍त किए गए थे और 379 अतिरिक्‍त न्‍यायमूर्तियों को स्‍थायी किया गया था । उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायमूर्तियों की स्‍वीकृत पद संख्‍या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1079 किया गया है । जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों की स्‍वीकृत और कार्यरत पद संख्‍या निम्‍न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| तारीख को  | स्‍वीकृत पदसंख्‍या | कार्यरत पदसंख्‍या |
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 30.09.2018 | 22,644 | 17,509 |

विधि और न्‍याय मंत्री ने तारीख 14 अगस्‍त, 2018 के पत्र द्वारा उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायमूर्तियों और राज्‍यों के मुख्‍य मंत्रियों को जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में रिक्‍तियों की स्थिति को नियमित रुप से मानीटर करने और राज्‍य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्‍वय सुनिश्‍चित करने के लिए लिखा है ताकि उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्‍तान मामले में विहित समय सारणी के अनुसार परीक्षा और साक्षात्‍कार संचालित किए जाएं ।

(iv) **बकाया समिति के माध्‍यम से लम्‍बित मामलों में कमी:** इसके अतिरिक्‍त, अप्रेल, 2015 में आयोजित मुख्‍य न्‍यायमूर्तियों के सम्‍मेलन में पारित संकल्‍प के अनुसरण में, 24 उच्‍च न्‍यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्‍बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई है। बकाया समितियां, जिला न्‍यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई है। उच्‍चतम न्‍यायालय में उच्‍च न्‍यायालयों तथा जिला न्‍यायालयों में लम्‍बित मामलों में कमी के लिए कदम प्रतिपादित के लिए बकाया समिति गठित की गई है।

(v) **न्‍याय मित्र स्‍कीम:** न्‍यायालयों में 10 वर्ष से अधिक लम्‍बित मामलों में कमी करने के क्रम में, सरकार द्वारा अप्रेल, 2017 में न्‍याय मित्र स्‍कीम शुरू की गई है। स्‍कीम के अधीन, 10 वर्ष से अधिक लम्‍बित मामलों के त्‍वरित निपटान को सुकर बनाने के लिए सेवानिवृत न्‍यायिक अधिकारी ‘न्‍याय मित्र’ में रूप में लगाये और पदाभिहित किए जाते है। पहले चरण में, राजस्‍थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्‍तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में 15 न्‍याय मित्र लगाये गए है।

(vi) **वैकल्‍पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना:** वाणिज्‍यिक न्‍यायालय, उच्‍च न्‍यायालय वाणिज्‍यिक प्रभाग और वाणिज्‍यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018, 20 अगस्‍त, 2018 को अधिनियमित किया गया है जहां वाणिज्‍यिक विवादों के निपटारे के लिए आज्ञापक पूर्व-संस्‍थान मध्‍यकता क्रियाविधि पुर:स्‍थापित की गई है। माध्‍यस्‍थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्‍यस्‍थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का विहित समय-सीमा तक विवादों के त्‍वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। माध्‍यस्‍थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 लोक सभा द्वारा तारीख 10.08.2018 को श्रेणी माध्‍यस्‍थम् संस्‍थाओं की स्‍थापना, प्रत्‍यायित मध्‍यस्‍थों की नियुक्‍ति और प्रशिक्षण प्रदान करने और दाखिल की गई एडीआर में प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ, भारतीय माध्‍यस्‍थम् परिषद् (एसीआई) की स्‍थापना करने के लिए पारित किया गया है।

(vii) **त्‍वरित निपटान विशेष प्रकार के मामलों को प्रारंभ करना :** चोदहवें वित्त आयोग ने राज्‍यों में न्‍यायिक प्रणाली को मजबूत करने के सरकार के प्रस्‍ताव का समर्थन किया है जिसमें अन्‍य बातों के साथ, जघन्‍य अपराधों के मामलों के लिए ; ज्‍येष्‍ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों, आदि को अंर्तवलित करने वाले मामलों के लिए त्‍वरित निपटान न्‍यायालयों की स्‍थापना भी सम्‍मिलित है और राज्‍य सरकारों से ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर विचलन के रूप में प्रदान किए गए अतिरिक्‍त राजवित्तीय स्‍थान का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में, सम्‍पूर्ण देश में ऐसे 708 त्‍वरित निपटान न्‍यायालय कार्यरत है। निर्वाचित सांसदों/विधान सभा सदस्‍यों को अंर्तवलित करने वाले त्‍वरित निपटान अपराधिक मामले के लिए ग्‍यारह (11) राज्‍यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्‍ट्र, मध्‍य-प्रदेश, उत्‍तर-प्रदेश, बिहार, पश्‍चिमी बंगाल और राष्‍ट्रीय राजधानी राज्‍यक्षेत्र, दिल्‍ली) में बारह (12) विशेष न्‍यायालय स्‍थापित की गए है और सरकार द्वारा इन राज्‍यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई है । भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन करने के लिए दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018, 11 अगस्‍त, 2018 को अधिनियमित किया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*